दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गोरखपुर-273001

(नैक प्रत्यायित 'B ' श्रेणी)

सम्बद्ध

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

☎ : 0551-2334549
फैक्स नं0 : 0551-2334549
: 9792987700
e-mail : dnpggkp@gmail.com
website : www.dnpgcollege.edu.in

पत्रांकः— 2019 / 2020 दिनांकः—16.02.2020

प्रकाशनार्थ

आज दिनांक 16 फरवरी 2020 को गोरखनाथ साहित्यिक केन्द्र सभागार दिग्विजयनाथ पी.जी.कालेज, गोरखपुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम : एक परिचर्चा विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

अखिल भारतीय साहित्य परिषद, गोरक्षप्रान्त एवं हिन्दी विभाग दिग्विजयनाथ पी.जी.कालेज के संयुक्त तत्वावधन में यह एक दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर—प्रो. यू.पी.सिंह ने कहा कि दुखी, पीड़ित व्यक्ति को शरण देना हमारी सांस्कृति पहचान है और नागरिकता संशोधन अधिनियम हमारी इसी सांस्कृतिक विचार धारा को अक्षुष्य रखने का कानून है। स्वामी विवेकानन्द ने भी शिकागो सम्मेलन में कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो उत्पीड़ित जन की मदद करता है, शरण देता है। आज शाहीन बाग के नाम पर वहॉ के लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है उससे वहॉ के लोगों का जन—जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उनके मानवाधिकारों का उत्पीड़न हो रहा है। कुछ राज्य जो इस कानून को मानने से इंकार कर रहें है और इसके खिलाफ प्रस्ताव ला चुके है उन्हें भी समझना होगा कि कानून को पास या निरस्त करने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। कांग्रेस को आज न जाने क्या हो गया कि अपने ही संविधान का वह विरोध कर रही है।

विशिष्ट अतिथि श्री अशोक नारायण धर दूबे (वरिष्ठ अधिवक्ता) ने कहा कि यह एक छोटा सा कानून है किन्तु अधिनियम बहुत पुराना है। इस कानून में निरन्तर संसोधन होते रहे है किन्तु दिसम्बर 2019 में इस कानून के पास होते ही हाय तौबा मच गयी। हमारी संस्कृति समांवेशी संस्कृति रही हैं भारत एक ऐसा देश है जहॉ सभी वर्ग के लोगो के बिना किसी हेष के समान अधिकार प्राप्त है। नागरिकता कानून में विभेदकारी जैसी कोई बात ही नही है। संविधान के अनुच्छेद 11 में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार जब चाहे किसी भी कानून को बना सकती है। जो भी लोग विरोध कर रहे है वो भारतीय संविधान का विरोध कर रहें वो यह मानते है कि भारतीय संविधान संरक्षण करता है, अपवर्जन नही करता। यहॉ तो मात्र विरोध के लिए विरोध हो रहा है, कुछ विरोध तो मात्र इसलिए है कि यह कानून एक विशेष सरकार द्वारा लाया गया है।

मुख्य अतिथि डॉ. पृथ्वीराज सिंह ने गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय की पहचान है और इसके विरोध में भारतीय संस्कृति, अस्मिता को कुचला जा रहा है। आज वैचारिक लड़ाई समाप्त हो चुकी है और कुतरने की लड़ाई लड़ी जा रही है। गॉधी, पटेल, नेहरू आदि नेता गण भी इस कानून की बात कर चुके है। उन्होंने भी धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हैं को नागरिकता देने की बात कही है। बीज वक्तव्य देते हुए डॉ0 प्रदीप राव ने कहा कि भारतीय संस्कृति शरण देने वाली संस्कृति है। हम शरण देने के लिए आत्मबलिदान की परम्परा है। आज सरकारी सम्पत्ति को नष्ट कर हम अपनी कौन सी प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे सम्मुख दो समस्या प्रमुख है — एक प्रबुद्ध और दूसरा वोट बैंक। प्रबुद्ध की प्रबुद्धता और राजनेताओं का वोट बैंक। नागरिकता संशोधन अधिनियम बहुत सरल और स्पष्ट है। जो विरोध कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि यह अधिनियम देश हित में हैं, किन्तु विरोध वोट हित में कर रहे हैं।

स्वागत वक्तव्य अखिल भारतीय साहित्यिक परीषद, गोरक्षप्रान्त अध्यक्ष श्री रणविजय सिंह ने दिया। उन्होंने स्वागत वक्तव्य के अनन्तर कहा कि यह कानून उस पीड़ित समाज के लिए है जिनके मानवाधिकार का निरन्तर हनन हो रहा है जो आन्दोलन पाकिस्तान, बांग्लादेश में होना चाहिए वह आज भारत में हो रहा है।

कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय साहित्य परिषद, गोरखप्रान्त के महामंत्री एवं आचार्य हिन्दी विभाग प्रो0 प्रत्यूष दुबे ने किया। प्रो0 दुबे ने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्वबन्धुत्व और अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है। नागरिकता कानून हमारी इसी सनसतन संस्कृति को बनाए रखने कानून है।

इस अवसर पर डॉ0 राजशरण शाही, डॉ0 भगवान सिंह, डॉ0 राकेश सिंह, डॉ0 अमोद राय, श्री ओ.पी. सिंह, टी.एन. मिश्रा, प्रो0 विमलेश मिश्रा, डॉ0 महेन्द्र राय सहित साहित्य परिषद गोरक्षप्रांत के सभी सदस्य, विश्वविद्यालय के शोध छात्र एवं दि.ना.पी.जी. कालेज के शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

डॉ (शैलेन्द्र प्रताप सिंह)
प्राचार्य